न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 87/2025 G.C.M.S. No. 2025/277 दर्ज दिनांक : 18.06.2025

अपीलार्थिगण:

1. उम्मेदमल पुत्र वरदाराम, जाति माली
2. प्यारीदेवी पत्नि थानाराम, जाति माली
3. मुन्नी पुत्री थानाराम, जाति माली, निवासीगण भंदर, तहसील बाली, जिला पाली, राजस्थान।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. हिम्मतमल पुत्र मोहनलाल, जाति माली, निवासी सेवाड़ी, तहसील बाली व जिला पाली, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 111/2024 बअनवान हिम्मतमल बनाम उम्मेदमल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.04.2025

पैरोकार–

1. श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री पूर्णेश बोहरा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 27.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 111/2024 बअनवान हिम्मतमल बनाम उम्मेदमल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.04.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में वादी रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 द्वारा विरूद्ध प्रतिवादी अपीलाण्ट के दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, आर.टी. एक्ट का पेश किया गया। तत्पश्चात दिनांक 25/02/2025 को जवाब दावा का अवसर समाप्त किया जाकर एकतरफा बयान लिये जाकर दिनांक 23/04/2025 को एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री का आदेश पारित किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स पृथक विभाजन प्रस्ताव हेतु आदेश पारित किया गया। जिसके व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि दिनांक 23/04/2025 को आदेशिका का अवलोकन किया जावे तो यह स्पष्ट प्रकट होता है कि प्रकरण में एकतरफा बहस सुनी गई। प्रतिवादी अपीलाण्ट को बहस हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, न ही गवाह हिम्मतमल के बयान जो कि एकतरफा रूप से दर्ज किये गये, उससे जिरह का भी कोई अवसर प्रतिवादीगण को नहीं दिया गया और

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

न ही जो दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये उन पर आपत्ति करने का ही कोई अवसर प्रदान किया गया, साथ ही प्रतिवादी साक्ष्य हेतु भी पत्रावली नियत नहीं की गयी, जबकि विधिनुसार प्रतिवादी साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार विधिक प्रक्रियाओं की अवहेलना कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में उपस्थिति अवश्य दी गई है लेकिन प्रतिवादी को प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित करने यथा जवाब देने, साक्ष्य प्रस्तुत करने, प्रकरण में प्रभावी पैरवी करने बाबत कोई कथन अथवा सूचना प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई, प्रतिवादी अधिवक्ता से प्रथम बार सम्पर्क करने पर यह कहा गया कि उक्त प्रकरण की प्रत्येक पेशी पर आपको व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं हैं, जब भी आवश्यकता होगी, मैं आपको बुला दूंगा। तब आप उपस्थित आना, प्रतिवादी द्वारा अपने दस्तावेज व वास्तविक स्थिति से अपने अधिवक्ता को अवगत करवाना चाहा, तब उन्होंने जोर देकर यही कहा कि आपको जब भी आवश्यकता होगी तब आपको बुला दिया जायेगा इससे पूर्व आने की आवश्यकता नहीं हैं। जिस पर विश्वास कर लिया गया। लेकिन आज दिनांक तक उनकी और से कोई सूचना अथवा बुलावा नहीं आया है। तहसीलदार कार्यालय द्वारा नाप चौक हेतु दिनांक 13/06/2025 को उपस्थित रहने का नोटिस प्राप्त होने पर बाली न्यायालय जाकर पता करने पर एकतरफा आदेश पारित करने बाबत ज्ञान हुआ। उससे पूर्व उक्त पारित आदेश बाबत जानकारी भी प्रतिवादीगण को कभी नहीं रही हैं। इस प्रकार प्रतिवादीगण पूर्णतया उक्त हुई स्थिति से अनभिज्ञ एवं अनजान रहे हैं तथा उनकी ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं कौताही नहीं बरती गयी हैं। जिस कारण से जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं, वह सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र अपीलांट्स के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.04.2025 को प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए पक्षकारान के मध्य माफिक कब्जाकाश्त बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई हैं।

2. अपीलांट द्वारा यह उज्र लिया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात मृतक वरदाराम की आराजी थीं। जिनकी मृत्यु उपरांत तीन पुत्रों का नाम दर्ज किया गया। शेष चार पुत्रियों का नाम दर्ज नहीं किया गया। जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में ही वरदाराम की पुत्रियों द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पृथक से प्रस्तुत किया गया। जो जैरकार है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रत्येक सहखातेदार का 1/3–1/3 हिस्सा नहीं होकर 1/7–1/7 हिस्सा बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों वादपत्र संयोजित नहीं कर अपीलाधीन डिक्री पारित कर कानूनन भूल की हैं। जो कानूनन अपास्त है। हमारे विनम्र मत में चूंकि वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में ही अधीनस्थ न्यायालय में ही खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित अन्य वादपत्र जैरकार है। ऐसी स्थिति में पक्षकारान के हिस्से विवादित हो जाते हैं। लिहाजा, प्रकरण में विभाजन के वादपत्र में खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित वादपत्र के साथ संयोजित किया जाना प्रकरण के सम्यक न्याय–निर्णयन के लिए आवश्यक था। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 25.02.2025 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स का जवाबदावा अवसर बंद किया गया तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। दिनांक 23.04.2025 को वादी साक्ष्य ली जाकर अधिवक्ता प्रतिवादी को जिरह का अवसर दिए बिना साक्ष्य वादी पूर्ण कर साक्ष्य प्रतिवादी में नियत किए बिना अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई। जो त्रुटिपूर्ण होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपीलाधीन निर्णय पुष्टि/सहमति योग्य नहीं हैं। अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 111/2024 बअनवान हिम्मतमल बनाम उम्मेदमल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.04.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन खातेदारी अधिकारों की घोषणा के वादपत्र के साथ हस्तगत विभाजन के वादपत्र को संयोजित कर आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप निर्णित व डिक्री करें। अपीलांट्स को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि असालतन/वकालतन दिनांक 30.03.2026 को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाली में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner